(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 36/2022- सीमा शुल्क

नई दिल्ली, दिनांक 30 जून, 2022

सा.का.नि. ..... (अ)- केंद्रीय सरकार, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप- धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर की लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 22/2022 - सीमा शुल्क, दिनांक 30 अप्रैल 2022, जिसे सा. का. नि. 328(अ), दिनांक 30 अप्रैल 2022 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप - खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी III में, क्रमांक 12 के सामने स्तंभ (5) में, “6.6” प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "11.5" को प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

[फा. संख्या. 354/16/2022- टीआरयू]

(विक्रम विजय वानेरे)

अवर सचिव

नोट : मूल अधिसूचना संख्या 22/2022 - सीमा शुल्क, दिनांक 30 अप्रैल 2022, को सा.का.नि. 328(अ), दिनांक 30 अप्रैल 2022, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 2, खंड 3, उप खंड (i), में प्रकाशित किया गया था ।